

बिहार सरकार  
भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 23/3/26

विषय- भवन निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 कुल ₹ 1,61,38,723/- (एक करोड़ इकसठ लाख अड़तीस हजार सात सौ तेईस रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंता द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में भवन निर्माण विभाग की निम्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कुल ₹ 1,61,38,723/- (एक करोड़ इकसठ लाख अड़तीस हजार सात सौ तेईस रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदान की जाती है -

क्र०	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई०डी० संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या / दिनांक	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	भवन प्रमंडल, सासाराम	30316	Construction of Inspection Bhawan at Rohtas Garh in Distt Rohtas	183(म)/ 28.08.23	21,43,148/- (इक्कीस लाख तैतालीस हजार एक सौ अड़तालीस रुपये)
2.	भवन प्रमंडल, औरंगाबाद	30446	भवन प्रमंडल, औरंगाबाद अन्तर्गत 04 कमरों का निरीक्षण भवन का निर्माण कार्य	180(म)/ 01.09.23	50,87,656/- (पचास लाख सतासी हजार छः सौ छपपन रुपये)
3.	विद्युत भवन प्रमंडल संख्या-03, पटना	30172	Provision of Garden light to E/I in all 20 Nos. Simillar Qtr Minister Enclave Gardanibagh, Patna	217(म)/ 08.09.25	60,60,720/- (साठ लाख साठ हजार सात सौ बीस रुपये)
4.	केन्द्रीय भवन प्रमंडल संख्या-01, पटना	30554	Proposed Lift PIT in Main Building of Bihar Vidhan Parishad, Patna for the Year 2025-26	116(म)/ 05.08.25 16.07.25	28,47,199/- (अठाईस लाख सैतालीस हजार एक सौ निन्यानवे रुपये)
<b>कुल योग:-</b>					<b>1,61,38,723 /-</b>
(एक करोड़ इकसठ लाख अड़तीस हजार सात सौ तेईस रुपये) मात्र।					

- उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिब्यय-उपमुख्यशीर्ष-01-कार्यालय भवन-लघु शीर्ष-051-निर्माण-उपशीर्ष-0101-भवन विपत्र कोड-03-4059010510101 के विषयशीर्ष-53-मुख्य निर्माण कार्य-0101.53.01 मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2025-26 में किया जाएगा।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
- इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।
- प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
- स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह) 26

सरकार के अपर सचिव।

पटना, दिनांक- 23/3/26

ज्ञापांक- 2858 (अ)

प्रतिलिपि-सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, संबंधित/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव। 26